राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प. 3 (1)साप्र / 2 / 2015 जयपुर, दिनांक - 7/7/2015

–: आदेश :–

सुश्री रेणु सिंगोदिया, व्याख्याता (हिन्दी), राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामपुरा रूपा, जयपुर जिनकी तृतीय श्रेणी की वरियता संख्या 229 / 2013 है एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 30.9.2040 है, के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम 1958 के नियम 18 (राज्यादेश) के प्रावधानान्तर्गत आऊट ऑफ टर्न के आधार पर राजकीय आवास संख्या ई–734, गांधीनगर जयपुर नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तो के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन किया जाता है:–

शर्ते:–

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नि / बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी–चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आवास के आवंटन की तिथि से 8 दिवस में आवंटित आवास का कब्जा स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता / आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वंय / पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया हैं।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(निर्मला परचवानी)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

D:\kailash\Allotment Order 2013\Allotment III.doc

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय की आईडी क्रमांक 813129/15/सीएस दिनांक 15.6.2015 के क्रम में।
5. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामपुरा रूपा, जयपुर।
7. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड–III, जयपुर।
8. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर, जयपुर।
9. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, गांधीनगर, जयपुर।
10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
11. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या–6 की पालना को भी अमल में लावें।
12. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर–कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
13. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी पुलिस अकादमी परिसर गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
14. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
15. संबंधित अधिकारी।
16. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ शासन उप सचिव

D:\kailash\Allotment Order 2013\Allotment III.doc